केवल **E-Mail/Fax** द्वारा

।। कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल ।।

E-Mail ID:dmgarhwal@gmail.com /PHONE- 01368-222250/Fax: 222080

संख्याः 2417/26–प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018, दिनांक पौडी अगस्त 13, 2018

"आदेश"

तहसीलदार लैन्सडौन के पत्र संख्याः 354/र0का0/2018 दिनांक 23.07.2018 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत सिलोगी घनसाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम कड़थी पट्टी मल्ला ढांगू तहसील लैन्सडौन के नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता सं0 22 के खसरा नं0 2241 मध्ये 1.530 है0 एवं खसरा नं0 2256 मध्ये 1.530 है0 कुल 3.060 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि प्रस्तावित कर संस्तुति की गयी है। प्रस्तावित भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हैं।

2. शासनादेश संख्याः 2173/XVII (2)/2012–18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सिलोगी घनसाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु तहसीलदार लैन्सडौन की आख्या एवं उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम कड़थी पट्टी मल्ला ढांगू तहसील लैन्सडौन के नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता सं0 22 के खसरा नं0 2241 मध्ये 1.530 है0 एवं खसरा नं0 2256 मध्ये 1.530 है0 कुल 3.060 है0 सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार लैन्सडौन तद्नुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढवाल।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– सचिव,राजस्व अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2– आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग,पौड़ी।
4– अधिशासी अभियन्ता,प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,लैन्सडौन।
5– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार,लैन्सडौन।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढवाल।

Scanned by CamScanner

"ई–मेल द्वारा"

प्रेषक,

तहसीलदार
लैन्सडौन ।

सेवामें,

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन गढवाल।

संख्या – 423/र0का0–2018 दिनांक लैन्सडौन सितम्बर 13 , 2018 ।

विषय – जनपद पौडी गढवाल में सिलोगी–घनश्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.530 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

–0–

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक 2398/21सी0 दिनांक 21.08.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अनुसार जनपद पौडी गढवाल में सिलोगी–घनश्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.530 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय गढवाल के आदेश संख्या 2417/26–प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018 दिनांक पौडी अगस्त 13, 2018 के अनुपालन में ग्राम कडथी पटटी मला ढांगू तहसील लैन्सडौन के नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता स0 22 के खसरा न0 2241 मध्ये 1.530 हे0 एवं खसरा न0 2256 मध्ये 1.530 हे0 कुल 3.060 हे0 सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में किया जा चुका है। क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक द्वारा नॉन जेड0ए0 खतौनी की नकल प्रस्तुत की गई है। जो कि सलग्न है।

अतः आख्या सेवामें प्रेषित है।

सलग्न– यथोपरि।

पत्रांक 2556/21(ल)
दि0 18-9-18

(Stamp: अधिशासी अभियन्ता, प्रा0 ख0, लो0नि0वि0 लैन्सडौन; पंजिका सं0 21 ए; 15.9.2018; क्रमांक 1338)

भवदीय

(Signature) 13/9/2018

(राजेन्द्र प्रसाद रतूडी)
तहसीलदार लैन्सडौन।

14/9/18

स0 अ0 II
आगत

अ0 अ0
19.09.18

Scanned by CamScanner

NON Z.A खतौनी नकल — सिलोगी धनमाली मोटर मार्ग में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु

ग्राम - कड़ख्री   पट्टी - मल्ला ढाँगू-II   परगना - सिलोगी   तहसील - लैंसडौन   पौड़ी गढ़वाल

1	2	3	4	5
श्रेणी 9 (ख) 2 - अन्य वृक्ष व झाड़ियों के समूह तथा लकड़ी घास वाली भूमि				
22	झाड़ी		29	0·050
			43	0·040
			77	0·090
			82	0·359
			2121	0·013
			2155	0·049
			✓2241	5·609
			2246	0·030
			2248	0·060
			✓2256	2·566
			2273	0·019
			2283	0·400
			6339	0·068
			6341	0·095
			6343	0·085
	योग		346	51·343

6 से 12 तक

आदेश

(1) जिलाधिकारी गढ़वाल के आदेश सं० 1307/26 ए०ए०एल०सी०/2012 दि० पौड़ी अप्रैल 10, 2012 व सचिव राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के स्वीकृति पत्र सं० 472/x vii (ii) 2012-18-(6) 2012 दि० 26-8-2012 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सिलोगी धनमाली मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम कड़ख्री पट्टी म० ढाँगू-2 तहसील लैंसडौन जिला पौड़ी गढ़वाल के खसरा नं० 2241 रकबा 3·206 है० सिविल भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करने व उसके वैज्ञानिक प्रबन्धन के लिए वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। ह० अपठनीय 28/09/12 पट्टी म० ढाँगू-2

आदेश

(2) तहसील लैंसडौन के आदेश दि० 14-8-18 तथा कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल सं० 2417/26 प्र०आ० आदि० (सा० प्रशा०)-2018 दिनांक पौड़ी अगस्त 13, 2018 आदेश जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सिलोगी धनमाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु तहसीलदार लैंसडौन की आख्या एवं अन्य आसनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम कड़ख्री खाता सं० 22 के खसरा नं० 2241 मध्ये 1·530 है० एवं खसरा नं० 2256 मध्ये 1·530 है० कुल 3·060 हैक्टर सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। हस्ताक्षर सुशील कुमार जिलाधिकारी गढ़वाल।

प्र० जिलाधिकारी

ह० 13/9/2018
तहसीलदार
लैन्सडौन

ह०
रा०उ०प० नि०
म० ढाँगू-II
07/09/18

ह० 8/9/18
(आर० डी० भट्ट)
रा०उ०प० नि०
म० ढाँगू-II

Scanned by CamScanner

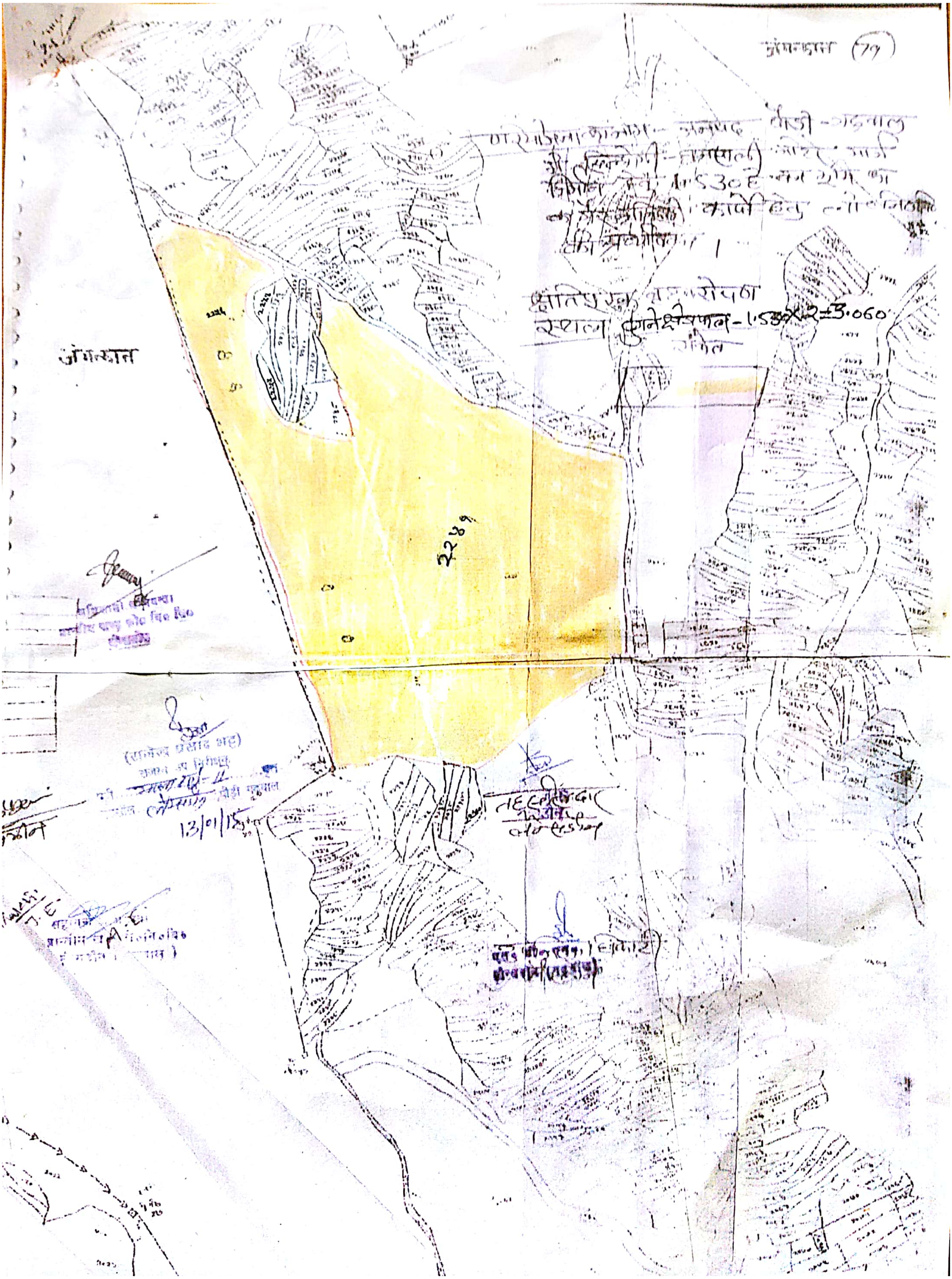

Scanned by CamScanner